

**Demand for conferring Bharat Ratna on
Late Shri Dhyan Chand**

श्री दिलीप कुमार तिरकी (ओडिशा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। जब भी देश के इतिहास में हमारे स्पोर्टिंग हीरोज़ की बात आती है तो उनमें ध्यानचंद का नाम सबसे ऊपर होता है। ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा तब दिलाई थी, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था।

इसके अलावा, मैं यह कहना चाहूँगा कि 1928, 1932 और 1936 के ओलम्पिक्स में उन्होंने देश को तीन बार लगातार स्वर्ण पदक दिलाया। अपने 24 वर्षों के शानदार कैरियर में उन्होंने लगभग 185 मैचों में 570 गोल्स किए हैं और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वे दो ओलम्पिक्स में हॉयर गोल स्कोरर रहे हैं। सर, 1932 के लॉस एंजेलिस ओलम्पिक में उन्होंने जो स्किल दिखाई थी, उसे ऑल टाइम बेस्ट स्किल माना गया। 1936 के बर्लिन ओलम्पिक में उनके खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के चांसलर हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना में कर्नल के पद का ऑफर दिया था, मगर देशभक्त ध्यानचंद ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

सर, इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया के वियना में उनकी स्टैच्यू लगाई गई है। 2012 के लंदन ओलम्पिक के दौरान उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन का नामकरण किया गया है। महानतम क्रिकेटर ब्रेडमैन ने उनके बारे में कहा था, "ध्यानचंद जी ऐसे गोल स्कोर करते हैं, जैसे क्रिकेटर रन बनाते हैं।" सर, हमारे देश में ध्यानचंद जी के जन्मदिन 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके नाम पर हम लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं। हम सब जानते हैं कि वे पूरे विश्व में 20th century के एक महान खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज भी जब हम भारत के सबसे बड़े अवार्ड की बात करते हैं, तब हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि इतने बड़े स्पोर्टिंग हीरो ध्यानचंद जी को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान "भारत रत्न" दिया जाए, धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूँ।

SHRI SHARAD YADAV (Bihar): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Dilip Kumar Tirkey.

PROF. RAM GOPAL YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Dilip Kumar Tirkey.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Dilip Kumar Tirkey.

DR. VIJAYLAXMI SADHO (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Dilip Kumar Tirkey.

CHAUDHARY MUNVVAR SALEEM (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Dilip Kumar Tirkey.

SHRI ALI ANWAR ANSARI (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Dilip Kumar Tirkey.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by Shri Dilip Kumar Tirkey.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, names may be noted. ...*(Interruptions)*... There is consensus across the board for this demand. ...*(Interruptions)*... Now, Shrimati Kanimozhi. ...*(Interruptions)*... Sorry. I missed one name. I will call you. Shri Sanjiv Kumar.

Problems being faced by the people of Koylanchal in Jharkhand due to failure of Bharat Coking Coal Limited

श्री संजीव कुमार (झारखंड) : श्रद्धेय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान झारखंड के कोयलांचल क्षेत्र में बीसीसीएल द्वारा की जा रही अनियमितता एवं गैरकानूनी हरकतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, कोयला खनन एवं इसकी ढुलाई के क्रम में कोयलांचल भारी प्रदूषण की चपेट में है। बीसीसीएल के मजदूर ही नहीं, बल्कि सारा कोयलांचल इस प्रदूषण के कारण त्रस्त है। लोग टी.बी., अस्थमा, कैंसर इत्यादि बीमारियों से मर रहे हैं। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल जर्जर हालत में हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम्स मनमानी कर रहे हैं। बीसीसीएल के ज्यादातर बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघ चुके हैं। जिनकी ज़मीन गई है, उनको compensation में मिलने वाली नौकरियां देने के बजाय इन लोगों को उलझाकर रखा जा रहा है। इस क्रम में मोजा करमाटांड, जिला धनबाद में, जहां पर करीब 98 एकड़ ज़मीन 1985-86 में अधिग्रहीत की गई थी, 1990 के दशक में इसके एवज में 104 लोगों को बीसीसीएल में नौकरी दी गई थी। उन्हें बराबर प्रताड़ित किया गया और बिना वजह समय-समय पर निलंबित किया गया। फिलहाल सभी 104 व्यक्ति निलंबित हैं। इनका कुसूर सिर्फ इतना है कि ये गरीब हैं। इनके बाप-दादाओं ने बीसीसीएल को कोयला निकालने के लिए ज़मीन दी है। बीसीसीएल ने उन्हें इस बात पर निलंबित किया है कि उक्त ज़मीन पर उन कर्मचारियों को कब्जा दिलवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मोजा करमाटांड में 1985-86 में उपरोक्त ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था और 90 के दशक में इन 104 लोगों को नौकरियां दी गई थीं, उस समय पूर्ण रूप से उक्त ज़मीन पर बीसीसीएल का कब्जा था और समय-समय पर निर्माण के कुछ काम भी उपरोक्त ज़मीन पर हुए थे। करमाटांड के उक्त 104 व्यक्तियों को जो निलंबित किया गया, वह बिल्कुल गैरकानूनी एवं तानाशाहीपूर्ण है। ऐसे हज़ारों गैरकानूनी एवं तानाशाहीपूर्ण रवैये के उदाहरण भी कोयलांचल बीसीसीएल द्वारा आम बात है। जहां तक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी फंड का सवाल है, इसकी बंदर-बांट का भी ज्वलंत उदाहरण यह कोयलांचल के अलावा कहीं और देखने-सुनने को नहीं मिलेगा। इस क्रम में जितना भी फंड खर्च किया जाता है, या तो दबंगों को खुश करने के लिए किया जाता है या प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों में खर्च किया जाता है, जिसे एजुकेशन माफिया चलाते हैं। कोई ऐसा काम सीएसआर फंड से नहीं होता, जिसका सरोकार आम या ग्रामीण जनता से हो। बीसीसीएल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है एवं कोयलांचल की गरीब जनता इसके खिलाफ कभी भी